"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 100]   रायपुर, मंगलवार, दिनांक 19 मार्च 2013—फाल्गुन 28, शक 1934

गृह विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 मार्च 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 13-20/गृह-दो/न.से./2012.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ नगर सेना, चतुर्थ श्रेणी, सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2008 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियम 1 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम 1 (क) जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"1 (क),—**परिभाषाएं,**—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(1) "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, नगर सेना मुख्यालय हेतु वरिष्ठ स्टॉफ ऑफिसर, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान में संभागीय कार्यालयों हेतु संभागीय सेनानी एवं जिला कार्यालयों हेतु संबंधित जिला सेनानी/सिपाही अर्दली/अनुचर एवं रसोईए के पद पर चयन हेतु नियुक्ति प्राधिकारी होंगे."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. एस. केन, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 19 मार्च 2013

क्रमांक एफ 13-20/गृह-दो/न.से./2012.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 13-20/गृह-दो/न.से./2012 दिनांक 19 मार्च 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. एस. केन, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 19th March 2013

NOTIFICATION

No. F 13-20/Two-Home/H.G./2012.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Home Guard's, Class-IV, Service Reruitment and Promotion Rules, 2008, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

After rule 1, the following rule 1 (a) shall be added, namely :—
"1(a),— **Definitions.**— In these rules, unless context otherwise requires,—

(1) "Appointing Authority" in respect of the service means Senior Staff Officer for Home Guards Headquarters, Divisional Commandant for Divisional Office in Central Training Institute and concerned District Commandant for District Office to the selection to the post of Sepoy/Orderly/Peon/Follower and Cook."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
L. S. KEN, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.